प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिलाः—ए.सी.बी. चौकी कोटा देहात थाना.... प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर
   प्र0सू0रि0संख्या ....426/2022........ दिनांक..........01/11/2022
2. (1) अधिनियम—भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारा—07 ए
   (2) अधिनियम— भारतीय दण्ड सहिंता ....धारा —
   (3) अधिनियम..धारायें —..
   (4) अन्य अधिनियम धारायें..
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या..................07..............समय..........01:15 P.M.
   (ब) अपराध घटने का दिन ... शुक्रवार....दिनांक....03.07.2022 ...समय 12:30 पी.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक... 02.07.2022 समय 09.40 पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक — हस्तलिखित रिपोर्ट
5. घटना स्थल का ब्यौरा :—
   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः— उत्तर—पूर्व व 250 कि.मी.
   (ब) पताः— नई मण्डी थाने के पास स्थित गौतम जूस सेन्टर, हिण्डौन सिटी, करौली
   जरायम देही संख्या.....................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना —
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :—
   (अ) नामः— श्री शरीफ खान
   (ब) पिता का नाम — श्री रसीद खान
   (स) जन्म तिथी/वर्ष — उम्र 32 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता. — भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या.....................जारी होने की तिथी...............जारी होने की जगह..............................
   (र) व्यवसाय —
   (ल) पता — ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन, जिला करौली हाल नेहरु नगर रंगपरु रोड, थाना भीमगंजण्डी, कोटा
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :—

   (1) श्री संजय कुमार हरसाना (प्राईवेट व्यक्ति) पुत्र श्री रामेश्वर, जाति गुर्जर, निवासी हरसाने का पुरा, अटकोली, तहसील हिण्डौन, जिला करौली
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारणः— कोई नही
9. चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य.....1,20,000/— रूपये..
11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)..
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्नालगायें) :—

श्रीमान प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 02.07.2022 को समय 9:40 पी.एम. पर परिवादी श्री शरीफ खान पुत्र श्री रसीद खान, उम्र 32 साल, निवासी ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन, जिला करौली हाल नेहरु नगर रंगपरु रोड, थाना भीमगंजण्डी, कोटा ने उपस्थित कार्यालय होकर एक स्वयं द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष इस आशय का पेश किया कि" मैं ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन, जिला करोली का मूल निवासी हूं व वर्तमान में कोटा रेल्वे स्टेशन पर कूली का काम करता हूं। हम कुल 06 भाई तथा 04 बहने हैं। मेरे व मेरे दो भाईयों शकील व मुकीम का मेरे पिताजी रसीद खान तथा मेरे अन्य भाई—बहनों के बीच हमारी पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसका एक वाद नं. 27/2022 हमने एस.डी.एम., ऑफिस हिण्डौन में दायर कर रखा है, जिस पर हमारे पक्ष को स्टे ऑर्डर मिला हुआ है। उक्त वाद में दिनांक 04.07.2022 को फैसला आना है। उक्त वाद का फैसला हमारे पक्ष में करवाने एवं स्टे ऑर्डर जारी रखने की एवज में एस.डी.एम. ऑफिस के बाबू श्री संजय हरसाना, एस.डी.एम. हिण्डौन श्री अनूप सिंह के नाम से मुझसे 1,30000 रुपये रिश्वती राशि की मांग कर रहा है। श्री संजय हरसाना सीधे मुझसे रिश्वती राशि की बात नही करता है। उसके मिलने वाले श्री अनिरुद्ध जो मेरा भी मिलने वाला है, उसके साथ जाउंगा तभी विश्वास होने पर वह मेरे से रिश्वती राशि की बात करेगा। मैं अपने जायज के काम के बदले में श्री संजय हरसाना बाबू तथा श्री अनूप सिंह एस.डी.एम. को रिश्वती राशि नही देना चाहता हूं। मैं उन्हे रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरा श्री संजय हरसाना बाबू तथा श्री अनुप सिंह एस.डी.एम. से उधार रुपयों का कोई लेन—देन नही है, और ना ही मेरी श्री संजय हरसाना बाबू तथा श्री अनूप सिंह एस.डी.एम. से कोई रंजिश है। कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी ने न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली के मुकदमा नं. 27/2022 के स्थगन आदेश की फोटो प्रति पेश की जिसे कार्यवाही में शामिल किया गया। डां. प्रेरणा शेखावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि. ब्यूरो, कोटा देहात अवकाश पर होने से इस सम्बंध में उच्चाधिकारियों को हालात निवेदन कर निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गई। परिवादी से दरयाफ्त की गई तो उसने बताया कि मेरे द्वारा किए गए वाद में आगामी तारीख दिनांक 04.07.2022 नियत है, उसी दिन स्टे ऑर्डर पर फैसला आना है, इसीलिए आरोपीगण तारीख से पहले रिश्वत राशि की मांग कर रहे हैं, इस सम्बंध में कल दिनांक 03.07.2022 को आरोपीगण रिश्वती राशि की बातचीत करेंगे। आरोपीगण सीधे मुझसे रिश्वत की बात नही करेंगे मैं अपने मिलने वाले श्री अनिरुद्ध को लेकर जाउंगा तभी वह मुझसे रिश्वत राशि की बात करेंगे, श्री अनीरुद्ध से मेरी बात हो गई है वह कल मुझे हिण्डौन सिटी में मिल जाएगा। प्रार्थना पत्र व दरयाफ्त से मामला प्रथम दृष्ट्या रिश्वत की मांग का होना पाया गया तथा परिवादी ने रिश्वत मांग की वार्ता कल ही होना बताया। मामला रिश्वत की मांग का होने से सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से समय 10.30 पी.एम. पर श्री असलम खान हैड कानि. 124 को तलब कर परिवादी श्री शरीफ खान से परिचय करवाया गया। परिवादी श्री शरीफ खान को आरोपी श्री संजय हरसाना कनिष्ठ सहायक एवं श्री अनूप सिंह उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड कार्यालय हिण्डौन जिला करौली से अपने काम व रिश्वत राशि के बारे में वार्ता करने व वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की हिदायत की गई । समय 10.40 पी.एम. पर मालखाने से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर परिवादी श्री शरीफ खान को सुपुर्द कर डिजिटल वाईस रिकॉर्ड को चलाना व बंद करना समझाया गया। हिण्डौन पहुंचकर आरोपीगण से सम्पर्क कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु निर्देशित किया तथा श्री असलम हैड कानि. 124 को हिदायत दी की परिवादी व आरोपी के मध्य होनी वाली रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को यथासंभव नजदीक रहकर छुपाव हासिल करते हुए देखने व सुनने का प्रयास करें। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर तैयार कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाए गए। परिवादी श्री शरीफ खान व श्री असलम खान हैड कानि. 124 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किया गया।

दिनांक 03.07.2022 को समय 01.44 पी.एम पर श्री असलम खान हैड कानि. 124 के मोबाईल नं. 9269529798 से मन् उपअधीक्षक पुलिस के मोबाईल नं. 9414007788 पर वाट्सएप काल आया तथा परिवादी श्री शरीफ खान से वार्ता करवाई व परिवादी ने अवगत कराया कि हम जर्ये ट्रेन लगभग 8.30 ए.एम. पर हिण्डौन पहुंच गए थे जहां हमने, मेरे व आरोपी संजय हरसाना के मिलने वाले श्री अनिरुद्ध का इंतजार किया। श्री अनिरुद्ध के आने पर उसने आरोपी संजय हरसाना को कॉल किया तो आरोपी ने नई मण्डी थाने के पास होना बताकर वहीं पर बुलाया। इस पर मैं, श्री अनिरुद्ध तथा असलम जी हैड साहब मोटर साईकिल से रवाना होकर नई मण्डी थाने के पास स्थित जूस की दुकान पर पहुंचे तो आरोपी संजय हरसाना वहीं पर उपस्थित मिला, इसलिए मैं डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू नही कर पाया तथा उसने श्री असलम जी हैड साहब को भी देख लिया, उसके पूछने पर मैंने असलम जी हैड साहब को अपना रिश्तेदार बता दिया था तथा वहीं बैठकर हमारे बीच वार्ता होने लगी। थोडी देर बाद मैने मौका देखकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर लिया था तथा आरोपी संजय हरसाना से मेरी रिश्वती राशि के सम्बंध में वार्ता हो गई थी, जिसने पहले तो मुझसे 1,30,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की परंतु मेरे द्वारा बार–बार राशि कम करने को कहने पर वह एक लाख बीस हजार रुपये रिश्वती राशि लेने को तैयार हो गया। मेरे द्वारा श्री अनूप सिंह एस.डी.एम. से वार्ता करने के लिए तथा उनसे मिलकर रिश्वती राशि कम करने का आग्रह करने की बात कही गई तो आरोपी संजय हरसाना ने मना कर दिया। थोडी देर बाद उनके कहने पर असलम जी को वहीं छोडकर, उन्हे वापिस आकर ले जाने की बात कहकर मैं मोटर साईकिल से उनके साथ अस्पताल स्थित रैन बसेरे में चला गया था, उन दोनो को वहां छोडकर मैने एकान्त में आकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को बंद कर दिया था। वहां से मोटर साईकिल से मैं असलम जी को लेने वापिस गौतम जूस की दुकान पर आ गया था, श्री असलम जी हैड साहब को मोटर साईकिल पर बैठाकर उन्हे भी वहीं रैन बसेरे में ले गया था, जहां लगभग एक घण्टे तक हमने वहीं पर आराम किया ताकि आरोपी संजय हरसाना को हम पर शक ना हो क्योंकि वह रिश्वत राशि को लेकर काफी सर्तक था तथा बार–बार यही कह रहा था कि यह बहुत खतरे का काम है, आजकल एस.डी.एम. कलेक्टर भी ट्रेप हो रहे हैं। रैन बसेरे पर आराम करने के दौरान ही आरोपी संजय हरसाना ने मुझे एक तरफ ले जाकर मुझसे कहा था कि रिश्वती राशि कल सुबह 09 बजे से पहले–पहले ले आना तभी तेरा काम होगा क्योंकि कल ही तेरे मामले में तारीख भी है। थोडी देर बाद मेरा मिलने वाला श्री अनिरुद्ध मुझे तथा असलम जी हैड साहब को छोडने बस स्टेण्ड आया था, जहां से श्री असलम जी हैड साहब ने आपको कॉल किया है। अब मुझे रिश्वत के रुपयों की व्यवस्था करनी है, इसलिए मैं मेरे गांव जाकर रुपये लेकर शाम वाली ट्रेप से कोटा आ जाउंगा। इस पर परिवादी को अपने परिचित श्री अनिरुद्ध को भी साथ लाने तथा गोपनीयता की हिदायत की गई तथा समय पर ए.सी.बी. कार्यालय कोटा देहात पहुंचने के निर्देश दिए। श्री असलम खान हैड कानि. ने परिवादी के कथनों की ताईद की। श्री असलम खान हैड कानि. को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर परिवादी से प्राप्त कर सुरक्षित लेकर

अगली ट्रेन से कोटा आने हेतु निर्देशित किया गया। समय 06.05 पी.एम. पर श्री गिर्राज कानि. 387 को अधीक्षक, एम.बी.एस.एच. कोटा के नाम तहरीर देकर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान तलब कर कार्यालय में लेकर आने हेतु रवाना किया गया जो समय 07.25 पी.एम. पर श्री गिर्राज कानि0 387 मय इस कर्यालय द्वारा जारी तहरीर जिस पर श्री कमलेश तथा श्री तबारक अली का नाम तथा मोबाईल नं. व डिस्पेच नं. 818 दिनांक 03.07.2022 अंकितशुदा लेकर व दो स्वतन्त्र गवाहान श्री कमलेश कुमार व श्री तबारक अली मेल नर्स ग्रेड – द्वितीय के कार्यालय में उपस्थित आया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उपस्थित दोनों गवाहान को स्वयं का परिचय देकर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराया। समय 10.35 पी.एम पर श्री असलम खान हैड कानि. 124 मय डिजिटल वाईस रिकॉर्ड उपस्थित कार्यालय आया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सुना गया तो परिवादी के कथनों की ताईद हुई। आरोपी संजय हरसाना द्वारा परिवादी शरीफ खान से उसके व उसके भाईयों द्वारा किए गए वाद का फैसला उनके पक्ष में करवाने एवं स्टे ऑर्डर जारी रखने की एवज में एक लाख बीस हजार रुपये रिश्वती राशि लेने की मांग की गई।

दिनांक 04.07.2022 को समय 01.10 ए.एम पर परिवादी श्री शरीफ खान मय रिश्वती राशि एक लाख रुपये उपस्थित कार्यालय आया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा एक लाख बीस हजार रुपये के स्थान पर एक लाख रुपये ही लाने बाबत् पूछा तो परिवादी ने बताया कि मैं रेल्वे स्टेशन कोटा पर कुली का काम करता हूं, मुझसे इतने ही रुपयों की व्यवस्था हो पाई है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने पूर्व से कार्यालय में उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री कमलेश कुमार तथा श्री तबारक अली का परिचय परिवादी श्री शरीफ खान से करवाया। दोनों गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह बनने की मौखिक सहमति प्राप्त कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनों गवाहान से पढवाकर हस्ताक्षर करवाये गये।श्री असलम खान हैड कानि. 124 द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 03.07.2022 को कार्यालय के लैपटॉप में लिवाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी श्री शरीफ खान ने एक आवाज स्वयं की, दूसरी आवाज आरोपी श्री संजय हरसाना की व तीसरी आवाज श्री अनिरुद्ध की होना पहचान की। चूंकि आरोपी द्वारा सुबह 9 बजे से पहले रिश्वती राशि लेकर परिवादी को बुलाया गया। अतः समय अभाव होने से फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता बाद में मुर्तिब की गई। समय 02.00 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से रिश्वत में दी जाने वाली राशि को पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री शरीफ खान ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अपने पास से भारतीय मुद्रा के 500–500 रूपये के 200 नोट, कुल एक लाख रूपये निकालकर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किए। श्री नरेश कानि. 144 के द्वारा मालखाने से फिनोफ्थिलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई। एक अखबार के ऊपर थोड़ा सा फिनोफ्थिलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थिलीन पाउडर भली भांति लगवाया गया। गवाह श्री कमलेश कुमार से परिवादी श्री शरीफ खान की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुए कपड़ों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थिलीन पाउडर लगे नोटों को श्री नरेश कुमार कानि. 144 से सीधे ही परिवादी की पहनी हुई पेंट की साईड की बांयी जेब में रखवाए गए। एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवा कर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री नरेश कुमार कानि. 144 के फिनोफ्थिलीन पावडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थिलीन व सोडियम कार्बोनेट पावडर के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टान्त देकर सम्बधितों को समझाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलावे और ना ही पावडर लगे नोटो को रास्ते मे अनावश्यक रूप से हाथ लगावे। आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पावडर लगे नोटो को अपनी पेंट की जेब से निकाल कर उसे देवे तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप पार्टी के सदस्यों की ओर अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर या मन पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल फोन पर मिसकॉल कर ईशारा करे। मन पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर परिवादी के मोबाईल में सेव करवाये गये। इसके बाद गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया। फिनोफ्थिलीन पाउडर की शीशी जरिये श्री नरेश कुमार कानि. 144 के वापस मालखाने मे रखवाई गई। नोटो पर पावडर लगाने मे प्रयुक्त अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। गिलास एवं श्री नरेश कुमार कानि. 144 के दोनों हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया जाकर गिलास को कार्यालय मे ही छोड़ा गया। कार्यवाही में काम मे आने वाले कांच की शीशियों मय ढक्कन, कांच के गिलासों को पानी व साबुन से अच्छी तरह साफ करवाया गया। ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि परिवादी के आसपास नजदीक रहकर परिवादी एवं आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने एवं वार्ता को सुनने का प्रयास करे। इसके पश्चात सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी को देकर उसे चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाई गई तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी की पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवाया गया तथा हिदायत दी गई कि आरोपी से होने वाली बातचीत को डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकॉर्ड करे। समय 03.10 ए.एम. पर

मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री असलम खान हैड कानि. 124, मय परिवादी श्री शरीफ खान सरकारी वाहन बोलेरो नं. आर. जे. 14 यू सी 9356 से चालक श्री विशेष कुमार 585 के तथा श्री दिग्विजय कानि. 419 , श्री पवन कानि. 272 तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री तबारक अली तथा श्री कमलेश कुमार को सरकारी वाहन टवेरा आर.जे. 14 यू.सी. 8905, चालक श्री गिर्राज कानि. 387 को पीछे–पीछे आने के निर्देश देकर मय लैपटॉप, प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स के हिण्डौन सिटी जिला करौली के लिए रवाना हुआ। समय 07.45 ए.एम. पर मन उपअधीक्षक पूर्व का रवानाशुदा मय हमराहीयान मय दोनो सरकारी वाहन कस्बा गंगापुर सिटी पहुंचा जहां परिवादी श्री शरीफ खान ने बताया कि श्री अनिरुद्ध ने मुझे कस्बा गंगापुर पहुंचकर फोन करने हेतु कहा था, इस पर परिवादी के मोबाईल से उसके परिचित श्री अनिरुद्ध को कॉल करवाया गया तो अनिरुद्ध का मोबाईल स्विच ऑफ आया। तत्पश्चात् परिवादी ने बताया कि अनिरुद्ध मुझे गंगापुर में उसके किसी मिलने वाले के घर पर मिल सकता है, साथ ही बताया कि कस्बा हिण्डौन की सडके तथा गलिया भीड–भाड वाली हैं, अतः मोटर साईकिल लेकर चलना उचित रहेगा, मैं अपने परिचित से मोटर साईकिल ले आता हूं। इस पर परिवादी को उसके कहे अनुसार अपने परिचित से मोटर साईकिल लाने तथा अनिरुद्ध का पता करने हेतु रवाना किया गया। समय 08.00 ए.एम. पर पूर्व का रवानाशुदा परिवादी श्री शरीफ खान मय मोटर साईकिल स्पलेण्डर उपस्थित आया तथा बताया कि अनिरुद्ध मुझे संभावित स्थान पर नही मिला तथा उसका मोबाईल फोन बंद आ रहा है। इस पर परिवादी को उसके द्वारा लाई गई मोटर साईकिल से आगे–आगे कस्बा हिण्डौन सिटी के लिए रवाना किया तथा पीछे–पीछे मन उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता मय दोनो सरकारी वाहन के कस्बा हिण्डौन के लिए रवाना हुआ। समय 09.00 ए. एम. मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी मय मोटर साईकिल व एसीबी जाब्ता मय सरकारी वाहन बोलेरो कस्बा हिण्डौन स्थित पी.जी. कॉलेज के पास पहुंचा, जहां से परिवादी के मोबाईल से अनिरुद्ध को कॉल करवाया तो अनिरुद्ध का मोबाईल स्विच ऑफ आया। तत्पश्चात् परिवादी के मोबाईल से आरोपी श्री संजय हरसाना कनिष्ठ सहायक को कॉल करवाया गया तो आरोपी के मोबाईल पर रिंग गई परंतु आरोपी द्वारा कॉल अटेण्ड नही किया गया। इस पर मय हमराहीयान हिण्डौन सिटी रेल्वे स्टेशन के लिए रवाना हुआ। समय 09.30 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व एसीबी जाब्ता मय दोनो सरकारी वाहन हिण्डौन सिटी रेल्वेस्टेशन स्थित पार्किंग एरिया में पहुंचा। समय 09.49 ए.एम. पर परिवादी श्री शरीफ खान के मो. न. 9461858769 से आरोपी श्री संजय हरसाना के मोबाईल नं. 9610857970 पर कॉल करवाया गया तो आरोपी संजय हरसाना ने परिवादी से कहा कि अनीरुद्ध कहां है उससे आपकी बाचतीच हुई या नही? उक्त वार्ता को स्पीकर ऑन कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। समय 09.52 ए.एम. परिवादी श्री शरीफ खान के मो. न. 9461858769 पर आरोपी श्री संजय हरसाना के मोबाईल नं. 9610857970 से कॉल आया तथा आरोपी संजय हरसाना ने पुनः अनिरुद्ध से वार्ता होने नही होने के सम्बंध में बातचीत की व कुछ देर में हिण्डौन आने की बात कही। उक्त मोबाईल वार्ता को स्पीकर ऑन कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। समय 10.31 ए.एम. पर परिवादी श्री शरीफ खान के मो. न. 9461858769 से आरोपी श्री संजय हरसाना के मोबाईल नं. 9610857970 पर कॉल करवाया गया तो आरोपी संजय हरसाना ने पुनः अनिरुद्ध से वार्ता होने नही होने के सम्बंध में बात की तथा थोडी देर में हिण्डौन सिटी आना बताया। उक्त मोबाईल वार्ता को स्पीकर ऑन कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। समय 11.05 ए.एम. पर चूंकि परिवादी ने कस्बा हिण्डौन की गलियों तथा सडको पर भीडभाड होना बताया, साथ ही दौराने सत्यापन भी आरोपी श्री संजय हरसाना कनिष्ठ लिपिक कह रहा है कि हम किसी से रिश्वती राशि लेते हैं तो पूरी सतर्कता बरतते हैं तथा तय समय तथा स्थान पर रिश्वती राशि नही लेकर अन्य समय तथा स्थान पर पूरी सर्तकता के साथ रिश्वती राशि लेते हैं। चूंकि ट्रेप पार्टी के साथ दोनो सरकारी वाहन, जो जयपुर नम्बर पास, जिससे आरोपी को उक्त वाहन देखकर शंका हो सकती थी। परिवादी ने बताया कि वह स्थानीय है अपने रिश्तेदारो/मिलने वालों से दो और मोटर साईकिलो की व्यवस्था कर सकता है। अतः परिवादी तथा श्री असलम खान हैड कानि. को दो अतिरिक्त मोटर साईकिल लाने हेतु रवाना किया गया। समय 11.30 ए.एम. पर पूर्व के रवानाशुदा परिवादी तथा श्री असलम खान हैड कानि. 124 मय दो मोटरसाईकिल स्पेलेण्डर व सीडी डीलक्स उपस्थित आए। समय 11.56 ए.एम. पर परिवादी श्री शरीफ खान के मो. न. 9461858769 से आरोपी श्री संजय हरसाना के मोबाईल नं. 9610857970 पर कॉल करवाया गया तो मोबाईल व्यस्त होना बताया। उक्त मोबाईल वार्ता को स्पीकर ऑन कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। समय 11.57 ए.एम. पर आरोपी संजय हरसाना के मोबाईल नं. 9610857970 से परिवादी श्री शरीफ खान के मो. न. 9461858769 पर कॉल आया तो आरोपी श्री संजय हरसाना ने पुनः अनिरुद्ध से वार्ता होने, नही होने के सम्बंध में बात की तथा थोडी देर में हिण्डौन सिटी आना तथा परिवादी से वहीं पर मिलने हेतु कहा परंतु फोन डिस्कनेक्ट हो जाने से स्पष्ट स्थान के बारे में नही बताया। उक्त मोबाईल वार्ता को स्पीकर ऑन कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। परिवादी के मोबाईल से उसके परिचित अनीरुद्ध के मोबाईल नम्बर पर फोन करवाया गया तो उसके द्वारा कॉल अटेण्ड नही किया गया। समय 12.14 पी.एम. पर

आरोपी श्री संजय हरसाना के मोबाईल नं. 9610857970 से श्री शरीफ खान के मो. न. 9461858769 पर कॉल आया तथा आरोपी श्री संजय हरसाना कनिष्ठ सहायक ने परिवादी को तहसील मोड पर बुलाया। उक्त मोबाईल वार्ता को स्पीकर ऑन कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। समय 12.16 पी.एम. पर परिवादी श्री शरीफ खान को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करवाकर उसकी मोटर साईकिल से आरोपी श्री संजय हरसाना द्वारा बुलाए गए स्थान तहसील मोड, हिण्डौन सिटी के लिए रवाना किया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय श्री पवन कुमार कानि. 272 के अन्य मोटर साईकिल से परिवादी के पीछे–पीछे तथा श्री असलम खान हैड कानि. 124 तथा श्री दिग्विजय कानि. 419 को शेष मोटर साईकिल से पीछे–पीछे आने तथा शेष जाप्ते को दोनो सरकारी वाहनों से कुछ दूरी बनाते हुए पीछे–पीछे आने के निर्देश देकर तहसील मोड हिण्डौन सिटी के लिए रवाना हुआ। समय 12.25 पी.एम. पर मन उपअधीक्षक मय हमराहीयान तहसील मोड हिण्डौन पहुंचा, जहां परिवादी तथा आरोपी श्री संजय हरसाना कनिष्ठ सहायक तहसील मोड पर स्थित पेड के नीचे बात–चीत करते दिखे, हमराही ट्रेप पार्टी के सदस्यों को तहसील मोड के आस–पास उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे का इंतजार करने हेतु निर्देशित किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस, परिवादी व आरोपी से दूरी बनाते हुये खडा होकर परिवादी के ईशारे का इंतजार करने लगा। समय 12.30 पी.एम. पर आरोपी संजय हरसाना तथा परिवादी श्री शरीफ खान तहसील मोड से बिना कोई ईशारा किए तहसील कार्यालय की तरफ रवाना हुए, जिनके पीछे–पीछे मन् उप अधीक्षक मय हमराहीयान पूर्वानुसार रवाना हुआ। समय 12.31 पी.एम. पर मन उपअधीक्षक मय हमराहीयान तहसील कार्यालय परिसर हिण्डौन सिटी पहुंचा तो परिवादी श्री शरीफ खान तथा आरोपी श्री संजय हरसाना कनिष्ठ सहायक दीवार के सहारे अधिवक्ताओं के बैठने के स्थान पर लगे टीनशेड के नीचे बैठे तथा बातचीत करते दिखे। ट्रेप पार्टी के सदस्यो को तहसील परिसर में उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे का इंतजार करने हेतु निर्देशित किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस परिवादी तथा आरोपी से दूरी बनाते हुये उनसे कुछ दूरी पर खडा होकर परिवादी के ईशारे का इंतजार करने लगा। समय 12.48 पी.एम. पर आरोपी संजय हरसाना कनिष्ट सहायक तथा परिवादी श्री शरीफ खान बिना कोई ईशारा किए तहसील परिसर से सरकारी अस्पताल, हिण्डौन सिटी की तरफ रवाना हुए जिनके पीछे–पीछे मन् उप अधीक्षक मय हमराहीयान पूर्वानुसार रवाना हुआ। समय 12.50 पी.एम. पर मन उपअधीक्षक मय हमराहीयान सरकारी अस्पताल परिसर हिण्डौन सिटी पहुंचा तो परिवादी श्री शरीफ खान तथा आरोपी श्री संजय हरसाना कनिष्ठ सहायक सरकारी अस्पताल परिसर स्थित रैन बसेरे (प्रथम तल) में चले गए। ट्रेप पार्टी के सदस्यो को सरकारी अस्पताल परिसर में स्थित रैन बसेरे के आसपास उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे का इंतजार करने हेतु निर्देशित किया गया। मन उप अधीक्षक रैन बसैरे से कुछ दूरी पर खडा होकर परिवादी के ईशारे का इंतजार करने लगा। समय 12.58 पी.एम. पर परिवादी श्री शरीफ खान बिना कोई ईशारा किए सरकारी अस्पताल, हिण्डौन सिटी स्थित रैन बसेरे से निकलकर पुनः तहसील की ओर मोटर साईकिल से रवाना हुआ, पीछे–पीछे ही आरोपी संजय हरसाना कनिष्ठ सहायक भी सरकारी अस्पताल, हिण्डौन सिटी स्थित रैन बसेरे से निकलकर सामने मेडिकल स्टोर/जरोक्स की दुकान पर आकर बैठ गया। मन् उपअधीक्षक तथा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्य पूर्व की भांति अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम रहे। समय 01.01 पी.एम.पर परिवादी श्री शरीफ खान के मोबाईल नं. 9461858769 से श्री असलम खान हैड कानि. 124 के मो.नं. 9269529798 पर कॉल आया तथा परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री संजय हरसाना को कोई शंका हो रही है और वह बार–बार अनिरुद्ध को बुलाने तथा बात कराने की कह रहा है। उसने रिश्वती राशि नही ली है तथा मुझे कुछ देर बाद मिस कॉल कर आने के लिए कहा है तथा मैं थाने के पास स्थित गौतम जूस की दुकान पर जा रहा हूं तथा कुछ देर बाद मैं उसे मिस कॉल करुंगा, यदि उसका वापिस कॉल आएगा या जैसी भी स्थिति होगी आपको बता दूंगा। अतः परिवादी को जैसी भी सूरत हो अवगत कराने एवं तुरंत कॉल करने हेतु कहा गया। समय 01.15 पी.एम. पर आरोपी संजय हरसाना कनिष्ठ सहायक जरोक्स की दुकान से मोटर साईकिल लेकर तहसील रोड पर रवाना हो गया। चूंकि आरोपी संजय हरसाना मोटर साईकिल लेकर चला गया, अतः समय 01.19 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने मोबाईल से परिवादी श्री शरीफ खान के मोबाईल पर कॉल किया तथा पूछा कि आरोपी संजय हरसाना से आपकी कोई पुनः वार्ता हुई क्या? और परिवादी को आरोपी के हास्पिटल के सामने से चले जाने के बारे में भी बताया तो परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री संजय हरसाना को मैने मिस कॉल किया था, परंतु संजय हरसाना ने मुझे वापिस कॉल नही किया, ना ही वह अभी तक मेरे पास आया और ना ही उससे मेरी कोई बातचीत हुई है, उसे कोई शंका हो रही है, मुझे नही लगता अब वह अनिरुद्ध के बिना रिश्वती राशि लेने मेरे पास आएगा। इस पर परिवादी शरीफ खान को रेल्वे स्टेशन हिण्डौन सिटी परिसर स्थित पार्किंग एरिया में पहुंचने के निर्देश दिए तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस हमराही ट्रेप पार्टी के सदस्यों को लेकर दोनो सरकारी वाहनों व मोटर साईकिलों से रेल्वे स्टेशन हिण्डौन सिटी परिसर स्थित पार्किंग एरिया के लिए रवाना हुआ। समय 01.30 पी.एम. पर पूर्व का रवानाशुदा मन् उप अधीक्षक मय हमराहीयान रेल्वे स्टेशन हिण्डौन सिटी परिसर स्थित पार्किंग एरिया में पहुंचा तो परिवादी पार्किंग एरिया में माजूद मिला, जिसने मन् उप अधीक्षक पुलिस को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर

सुपुर्द किया तथा बताया कि आरोपी श्री संजय हरसाना द्वारा रिश्वती राशि नही लेने पर तथा कुछ देर बाद मिस कॉल कर आने की बात कहने पर मैं मोटर साईकिल लेकर नई मण्डी थाने के पास स्थित गौतम जूस की दुकान पर चला गया था, वहां पहुंचकर मैने मौका देखकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को बंद कर लिया था और कुछ देर बाद मैने आरोपी संजय हरसाना को मिस कॉल किया था, परंतु उसका मेरे पास वापिस कॉल नही आया ना ही वह मेरे पास आया, अनिरुद्ध के बिना उसको शंका हो रही है और इसी कारण वह रिश्वत राशि नही ले रहा, बार–बार फोन करने पर उसको ज्यादा शंका हो सकती है, क्योकि सुबह से उसे कई बार फोन कर लिया है। अतः आरोपी के कॉल का यहीं मुकीम रहकर इंतजार किया गया। मन् उप अधीक्षक ने मय हमराहीयान रेल्वे स्टेशन हिण्डौन सिटी परिसर स्थित पार्किंग एरिया में आरोपी श्री संजय हरसाना का कॉल आने का इन्तजार किया, परंतु आरोपी श्री संजय हरसाना को कोई कॉल परिवादी के मोबाईल पर नही आया, संभवतः आरोपी श्री संजय हरसाना काफी सर्तक और बार–बार स्थान बदल रहा था, तथा बार–बार अनिरुद्ध को बुलाने की बात कर रहा, ना ही उसने परिवादी से अब कोई सम्पर्क किया। वह परिवादी से अनिरुद्ध के बिना रिश्वती राशि नही ले रहा। परिवादी श्री शरीफ खान के मोबाईल से उसके परिचित अनिरुद्ध के मोबाईल पर फोन करवाया गया तो उसके द्वारा कॉल अटेण्ड नही किया गया। समय 02.05 पी.एम. पर समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, मय परिवादी शरीफ खान, मय दोनो सरकारी वाहन व मोटर साईकिलों से गंगापुर रोड स्थित ढाबे पर भोजन हेतु रवाना हुआ। चूंकि आरोपी कनिष्ठ सहायक द्वारा परिवादी से अनिरुद्ध के बिना रिश्वती राशि प्राप्त नही की गई तथा परिवादी को कुछ देर बाद मिस कॉल कर आने के लिए कहा था, परंतु परिवादी द्वारा मिस कॉल करने के बावजूद आरोपी ने वापिस परिवादी को कॉल नही किया तथा सरकारी अस्पताल स्थित रैन बसेरे से भी उठकर चला गया। काफी समय इंतजार करने के बाद भी आरोपी द्वारा परिवादी को कॉल नही किया गया न ही अन्य किसी प्रकार से सम्पर्क किया गया, ऐसी स्थिति में आरोपी के रिश्वत राशि प्राप्त करने की संभावना प्रतीत नही होती। उक्त हालात श्री आलोक श्रीवास्तव पुलिस अधीक्षक, कोटा रेंज कोटा को जर्ये मोबाईल बताए गए, निर्देश प्राप्त किए गए जिनकी पालना की गई। परिवादी श्री शरीफ खान द्वारा बताया गया कि मेरी बच्ची बीमार है जिसे मुझे डॉक्टर को दिखाना है तथा मेरे बच्चे गंगापुर सिटी में मेरे ससुराल में हैं। अतः परिवादी से रिश्वती राशि स्वतंत्र गवाह श्री कमलेश कुमार को दिलवाई जाकर गवाह की जेब में सुरक्षित रखवाई गई। परिवादी को दोनो मोटर साईकिलें दुरुस्त हालत में सुपुर्द की गई। परिवादी को मुनासिब हिदायत की गई कि जब भी आरोपी कनिष्ठ सहायक का फोन आए और वह बुलाए तो तुरंत मन उपअधीक्षक को जर्ये मोबाईल सूचित करे, साथ ही परिवादी को शीघ्र एसीबी कार्यालय पर उपस्थित होने की हिदायत कर उसके घर जाने हेतु रवाना किया गया। समय 04.10 पी.एम. पर मन् उपअधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के दोनो सरकारी वाहनों से कोटा के लिए रवाना हुआ। समय 09.30 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता, स्वतंत्र गवाहान, दोनो सरकारी वाहन ,लेपटॉप, प्रिंटर व ट्रेप बाक्स के उपस्थित कार्यालय आया, जहॉ रिश्वती राशि को स्वतंत्र गवाह श्री कमलेश कुमार से लेकर सुरक्षित मालखाना जमा करवाई गई। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी में ताला लगाकर सुरक्षित रखवाया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहान को मामले की गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत कर तलब करने पर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर सकुशल रूखसत किया गया।

दिनांक 5.07.2022 को समय 03.57 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने मोबाईल नम्बर 9414007788 से परिवादी श्री शरीफ खान के मोबाईल नं. 9461857669 पर कॉल किया तो परिवादी ने गंगापुर सिटी में ही होना बताया, साथ ही बताया कि मेरी आरोपी से जर्ये मोबाईल वार्ता हुई है, उसने मुझसे मेरे मिलने वाले अनिरुद्ध को साथ लेकर आने की बात कही है, परंतु अनिरुद्ध से मेरा सम्पर्क नही हो पा रहा है। परिवादी को मामले की गोपनीयता की तथा आरोपी द्वारा पुनः सम्पर्क करने अथवा अनिरुद्ध से सम्पर्क होने पर जर्ये मोबाईल मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराने एवं शीघ्र ए.सी.बी. कार्यालय कोटा में उपस्थित होने की हिदायत की गई। दिनांक 6.07.2022 समय 12.39 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने मोबाईल नम्बर 9414007788 से परिवादी श्री शरीफ खान के मोबाईल नं. 9461857669 पर कॉल किया तो परिवादी ने कोटा आना बताया, परंतु आरोपी तथा अनिरुद्ध से सम्पर्क नही होना बताया। परिवादी को कार्यालय में उपस्थित होने बाबत कहा गया तो उसने बताया कि मेरी बच्ची की तबियत अभी भी ठीक नही है, इसलिए उपस्थित होने में असमर्थ हूं। परिवादी ने बताया कि मैं हमारा ईद का त्यौहार मनाने गांव कुतकपुर जाउंगा, अतः अब मैं गांव से आने के बाद ही आपके कार्यालय में आ सकूंगा। परिवादी को मामले की गोपनीयता की तथा आरोपी द्वारा पुनः सम्पर्क करने अथवा अनिरुद्ध से सम्पर्क होने पर जर्ये मोबाईल मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराने की हिदायत की गई।

दिनांक 15.07.2022 को समय 10.40 ए.एम. पर पूर्व का तलविदा परिवादी श्री शरीफ खान उपस्थित कार्यालय आया तथा बताया कि मैं ईद के त्यौहार पर गांव में ही था, जहां मेरी आरोपी संजय हरसाना से फोन से बात हुई तो उसने अनीरुद्ध को साथ लाने बाबत् कहा, जिस पर अनीरुद्ध से वार्ता हुई तो उसने आरोपी संजय हरसाना से रिश्तेदारी होने के कारण ट्रेप कार्यवाही में सहयोग

करने एवं आरोपी के पास साथ चलने से इंकार कर दिया। समय 11.45 ए.एम. पर तलविदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री कमलेश कुमार तथा श्री तबारक अली मेल नर्स ग्रेड द्वितीय उपस्थित कार्यालय आये। समय 11.50 ए.एम. पर कार्यालय की आलमारी में ताला लगाकर सुरक्षित रखवाए गए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को निकाला जाकर दिनांक 03.07.2022 को रिकॉर्ड वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से श्री असलम खान हैड कानि. द्वारा कार्यालय के लैपटॉप में लिवाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। परिवादी ने रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं की, दूसरी आवाज आरोपी संजय हरसाना कनिष्ठ सहायक की तथा तीसरी आवाज अपने परिचित श्री अनिरुद्ध की होना पहचान की। स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मेरे निर्देशन में श्री असलम खान हैड कानि. 124 से तैयार करवाई गई जिस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गए। समय 02.00 पी.एम. पर दिनांक 04.07.2022 को रिकॉर्ड हुई रिश्वत लेन–देन प्रयास वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से श्री असलम खान हैड कानि. द्वारा कार्यालय के लैपटॉप में लिवाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। परिवादी ने रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी संजय हरसाना, कनिष्ठ सहायक की होना पहचान की। स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मेरे निर्देशन में श्री असलम खान हैड कानि. 124 से तैयार करवाई गई जिस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गए। समय 6.10 पी.एम., पर कार्यालय समय समाप्त हो जाने से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को आलमारी में सुरक्षित रखवाया जाकर ताला लगाकर परिवादी श्री शरीफ खान तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान स्वतंत्र गवाहान श्री कमलेश कुमार तथा श्री तबारक अली मेल नर्स ग्रेड द्वितीय को मामले की गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत कर कल 10.30 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर सकुशल रवाना किया गया।

दिनांक 16.07.2022 को समय 11.25 ए.एम. पर तलविदा परिवादी श्री शरीफ खान व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री कमलेश कुमार तथा श्री तबारक अली मेल नर्स ग्रेड द्वितीय उपस्थित कार्यालय आये। समय 12.00 पी.एम. पर दिनांक 04.07.2022 को परिवादी तथा आरोपी संजय हरसाना कनिष्ठ सहायक के मध्य हुई मोबाईल वार्ता–प्रथम को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से श्री असलम खान हैड कानि. द्वारा कार्यालय के लैपटॉप में लिवाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। परिवादी ने रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी संजय हरसाना, कनिष्ठ सहायक की होना पहचान की। स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मेरे निर्देशन में श्री असलम खान हैड कानि. 124 से तैयार करवाई गई। समय 12.30 पी.एम. पर दिनांक 04.07.2022 को परिवादी तथा आरोपी संजय हरसाना कनिष्ठ सहायक के मध्य हुई मोबाईल वार्ता–द्वितीय को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से श्री असलम खान हैड कानि. द्वारा कार्यालय के लैपटॉप में लिवाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। परिवादी ने रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी संजय हरसाना, कनिष्ठ सहायक की होना पहचान की। रूबरू गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मेरे निर्देशन में श्री असलम खान हैड कानि. 124 से तैयार करवाई गई, जिस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गए। समय 01.00 पी.एम.पर दिनांक 04.07.2022 को परिवादी तथा आरोपी संजय हरसाना, कनिष्ठ सहायक के मध्य हुई मोबाईल वार्ता–तृतीय को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से श्री असलम खान हैड कानि. द्वारा कार्यालय के लैपटॉप में लिवाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। परिवादी ने रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी संजय हरसाना, कनिष्ठ सहायक की होना पहचान की। स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मेरे निर्देशन में श्री असलम खान हैड कानि. 124 से तैयार करवाई गई, जिस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गए। समय 01.30 पी.एम. पर दिनांक 04.07.2022 को परिवादी तथा आरोपी संजय हरसाना कनिष्ठ सहायक के मध्य हुई मोबाईल वार्ता–चतुर्थ को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से श्री असलम खान हैड कानि. द्वारा कार्यालय के लैपटॉप में लिवाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। परिवादी ने रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी संजय हरसाना, कनिष्ठ सहायक की होना पहचान की। स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मेरे निर्देशन में श्री असलम खान हैड कानि. 124 से तैयार करवाई गई जिस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गए। समय 02.30 पी.एम. पर, दिनांक 04.07.2022 को परिवादी तथा आरोपी संजय हरसाना कनिष्ठ सहायक के मध्य हुई मोबाईल वार्ता–पंचम को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से श्री असलम खान हैड कानि. द्वारा कार्यालय के लैपटॉप में लिवाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। परिवादी ने रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी संजय हरसाना, कनिष्ठ सहायक की होना पहचान की। स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मेरे निर्देशन में श्री असलम खान हैड कानि. 124 से तैयार करवाई गई जिस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गए। समय 3.40 पी.एम. पर कार्यालय की आलमारी में से सुरक्षित रखवाए गए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को बाहर निकाला

जाकर दिनांक 03.07.2022 को परिवादी श्री शरीफ खान व आरोपी श्री संजय हरसाना कनिष्ठ सहायक के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 04.07.2022 को परिवादी तथा आरोपी के मध्य हुई पांच मोबाईल वार्ताओं तथा रिश्वत लेन–देन प्रयास वार्ता को 04 सी.डी. में श्री असलम खान हैड कानि0 124 द्वारा मेरे निर्देशन में डब करवाया गया। प्रत्येक सी.डी. पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। एक सी.डी. बतौर वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिए, एक सीडी आरोपी के लिए तथा एक सीडी नमूना आवाज एफ.एस.एल. जॉच के लिए पृथक–पृथक खाकी कागज के कवर में रखकर कपड़े की थैलियों में बन्द कर सील मोहर की गई एवं कपडे की थैलियों पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड चिट किया गया। एक सी.डी. अनुसंधान अधिकारी के लिये अनशील्ड रखी गई। शील्डशुदा सीडियों को जमा मालखाना करवाया गया। कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। समय 5.30 पी.एम. पर परिवादी श्री शरीफ खान को समझाईश की गई कि जब भी आरोपी कनिष्ठ सहायक रिश्वत राशि के बारे फोन करे या बुलाए तो तुरंत मन उप अधीक्षक को जर्ये मोबाईल अवगत कराए, जिससे अविलम्ब कार्यवाही की जा सके तथा अनिरुद्ध से भी सम्पर्क कर उसे सहयोग करने हेतु तैयार करने का प्रयास करे। परिवादी तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री कमलेश कुमार तथा श्री तबारक अली मेल नर्स ग्रेड द्वितीय को मामले की गोपनीयता बनाए रखने तथा जब भी बुलाए कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर सकुशल रवाना किया गया।

दिनांक 02.08.2022 को समय 12.45 पी.एम. पर परिवादी श्री शरीफ खान उपस्थित कार्यालय आया तथा बताया कि आज समय लगभग 12.15 पी.एम. पर मेरी जर्ये मोबाईल आरोपी श्री संजय हरसाना कनिष्ठ सहायक से वार्ता हुई, उसने मुझसे कहा कि आप वाले मामले में पुनः प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, हिण्डौन में पेश कर दो आपका काम करवा देंगे। इस सम्बंध में हालात श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, कोटा देहात तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्र.नि.ब्यूरो, कोटा रेंज कोटा को जरिये मोबाईल हालात अर्ज किए गए, जिन्होने अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिए। परिवादी श्री शरीफ खान को हिण्डौन जाकर पुनः स्टे प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन सिटी जिला करौली के कार्यालय में पेश करने तथा आरोपी से वार्ता करने हेतु समझाईश की गई। परिवादी श्री शरीफ खान को हिदायत की गई कि यदि आरोपी पुनः रिश्वती राशि की मांग करे तो तुरंत अवगत कराए। समय 01.40 पी.एम. पर परिवादी श्री शरीफ खान को मुनासिब हिदायत कर सकुशल रवाना किया गया। दिनांक 04.08.2022 समय 12.27 पी.एम. पर परिवादी श्री शरीफ खान ने जर्ये व्हाट्स एप मोबाईल वार्ता अवगत करवाया कि मैं आज हिण्डौन सिटी आ गया हूं तथा मैं मेरे मामले में वकील साहब तथा आरोपी श्री संजय हरसाना कनिष्ठ सहायक से वार्ता करूंगा तथा जैसी भी स्थिति होगी आपको बताउंगा। इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत की गई। समय 5.30 पी.एम. पर मन् उपअधीक्षक पुलिस ने अपने मोबाइल से परिवादी श्री शरीफ खान के मोबाईल पर कॉल किया तो परिवादी ने कॉल अटेण्ड नही किया। दिनांक 05.08.2022 समय 1.01 पी.एम. पर तथा दिनांक 08.08.2022 समय 11.54 ए.एम. पर मन् उपअधीक्षक पुलिस ने अपने मोबाइल से परिवादी श्री शरीफ खान के मोबाईल पर कॉल किए तो परिवादी ने कॉल अटेण्ड नही किए।

दिनांक 15.08.2022 समय 11.50 ए.एम. पर परिवादी श्री शरीफ खान उपस्थित कार्यालय आया तथा बताया कि मैं दिनांक 04.08.2022 को मैं हिण्डौन सिटी गया था तथा मैने वकील साहब से सलाह ली थी तो उन्होने मुझे बताया कि आप द्वारा जो वाद उपखण्ड न्यायालय हिण्डौन में पेश किया गया है, उस पर आप तीनो भाईयों के हस्ताक्षर है, इसलिए अब दुबारा वाद पेश नही किया जा सकता। उस दिन मेरे मोबाईल में कोई समस्या आ गयी थी, जिससे मैं आपसे बात नही कर सका तथा मेरी बच्ची की तबियत ठीक नही थी इसलिए मैं आपके कार्यालय भी नही आ सका। फिर बाद में मुझे मेरे मिलने वाले वकील साहब ने बताया है कि आपने जो कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला वाद उपखण्ड कार्यालय में पेश कर रखा है, यदि उसमें एस.डी.एम साहब फैसला आपके पक्ष में कर दे तो आपका काम हो सकता है। इस बारे में आज थोडी देर पहले मेरी तीन–चार बार जर्ये मोबाईल आरोपी श्री संजय हरसाना कनिष्ठ सहायक से वार्ता हुई है, उसने मुझसे कहा है कि आप कल हिण्डौन आ जाओ बैठ कर बात कर लेंगे। श्री संजय हरसाना लालची आदमी है, वह मुझसे रिश्वत की बातचीत जरुर करेगा। समय 12.05 पी.एम. पर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को निकलवाया जाकर पुनः परिवादी श्री शरीफ खान को सुपुर्द कर डिजिटल वाईस रिकॉर्ड को चलाना व बंद करना समझाया गया। हिण्डौन पहुंचकर आरोपी से सम्पर्क कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु निर्देशित किया तथा श्री असलम हैड कानि. 124 को हिदायत दी की परिवादी व आरोपी के मध्य होनी वाली रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को यथासंभव नजदीक रहकर छुपाव हासिल करते हुए देखने व सुनने का प्रयास करें। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर तैयार कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाए गए। समय 12.10 पी.एम. पर परिवादी श्री शरीफ खान व श्री असलम खान हैड कानि. 124 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु कस्बा हिण्डौन सिटी रवाना किया गया।

दिनांक 16.08.2022 समय 1.51 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने मोबाईल से श्री असलम खान हैड कानि. 124 के मोबाईल पर जर्ये व्हाट्सएप कॉल वार्ता की तो श्री असलम खान हैड कानि. ने परिवादी श्री शरीफ खाने से वार्ता करवाई, जिसने बताया कि मैं तथा श्री असलम खान जी

आज सुबह लगभग 9.00 ए.एम. पर हिण्डौन आ गए थे, यहां पहुंचकर मैने मेरे मोबाईल से आरोपी श्री संजय हरसाना कनिष्ठ सहायक के मोबाईल पर वार्ता की तो श्री संजय हरसाना ने बारिश बंद होने पर हिण्डौन आकर बातचीत करने के लिए कहा तथा मेरे परिचित श्री अनिरुद्ध के बारे में पूछा। इस पर हमने यही रुककर आरोपी के आने का इंतजार किया, परंतु काफी देर तक आरोपी का फोन नही आया तो मैने पुनः मेरे मोबाईल से आरोपी के मोबाईल पर कॉल किया तो आरोपी द्वारा कॉल अटेण्ड नही किया गया। पुनः कुछ देर बार कॉल किया तो आरोपी का मोबाईल नेटवर्क कवरेज क्षैत्र से बाहर होना आया। श्री असलम खान हैड कानि. ने परिवादी के कथनो की ताईद की। इस पर परिवादी श्री शरीफ खान तथा श्री असलम खान हैड कानि. को कुछ समय और आरोपी श्री संजय हरसाना कनिष्ठ सहायक के आने का इंतजार करने एवं मोबाईल से पुनः सम्पर्क करने हेतु कहा गया। यदि फिर भी आरोपी से सम्पर्क नही हो तो वापिस आने की हिदायत की गई। समय 05.31 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने मोबाईल से श्री असलम खान हैड कानि. 124 के मोबाईल पर जर्ये व्हाट्सएप कॉल वार्ता की तो श्री असलम खान हैड कानि. ने परिवादी श्री शरीफ खाने से वार्ता करवाई, जिसने बताया कि हमने काफी इन्तजार किया परंतु न तो आरोपी संजय हरसाना आया ना ही उसने मुझे फोन किया। मैने पुनः उसको कॉल किया तो उसका मोबाईल आउट ऑफ कवरेज एरिया आया। श्री असलम खान हैड कानि. ने परिवादी के कथनो की ताईद की। परिवादी श्री शरीफ खान ने कहा कि मुझे अपने ससुराल में जरुरी काम है तो मैं वह काम करता हुआ कुछ दिन बाद आउंगा। इस पर परिवादी को हिदायत की गई कि यदि आरोपी से सम्पर्क हो तो तुरंत अवगत करवाए।

दिनांक 17.08.2022 समय 10.00 ए.एम. पर श्री असलम खान हैड कानि. 124 मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर उपस्थित कार्यालय आया तथा जाहिर किया कि मैं परिवादी के साथ कस्बा हिण्डौन सिटी गया था, जहां परिवादी की सुबह 9 बजे करीब जर्ये मोबाईल आरोपी से वार्ता हुई थी तथा उसने बारिश रुकने पर हिण्डौन आकर मिलने हेतु कहा था, परंतु बाद में हमने आरोपी संजय हरसाना का काफी इंतजार किया पर कोई सम्पर्क नही हुआ। आरोपी संजय हरसाना परिवादी के मिलने वाले श्री अनिरुद्ध के बारे में पूछ रहा था, इसलिए शायद उसे शंका हो गई है। परिवादी शरीफ को उसके ससुराल में कोई काम होने से वह वहीं रुक गया, मैं रवाना होकर वापिस आ गया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित आलमारी में रखवाया गया।

दिनांक 23.08.2022 समय 10.55 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने जर्ये व्हाट्सएप कॉल परिवादी श्री शरीफ खान से वार्ता की तो परिवादी ने अवगत कराया कि श्री संजय हरसाना कनिष्ठ सहायक द्वारा मुझे न तो पिछले 07 दिन में कोई फोन किया गया है और ना ही मुझे बुलाया है, मेरा फोन भी नही उठा रहे है। अब मेरे को लगता है कि वह मेरे से रिश्वत नही लेगा। परिवादी ने बताया कि वह रिश्वत राशि वापिस लेना चाहता है। इस पर परिवादी को कार्यालय कोटा में आने के लिए कहा तो उसने बताया कि दिनांक 25.08.2022 को 1.00 पी.एम. तक उपस्थित आउंगा। समय 11.00 ए.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री कमलेश कुमार व श्री तबारक अली मेल नर्स ग्रेड – द्वितीय को जर्ये मोबाईल दिनांक 25.08.2022 को समय 01.00 पी.एम. पर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबंद किया गया।

दिनांक 25.08.2022 समय 01.00 पी.एम. पर पूर्व के तलविदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री कमलेश कुमार व श्री तबारक अली मेल नर्स ग्रेड – द्वितीय, परिवादी श्री शरीफ खान उपस्थित कार्यालय आये। समय 01.10 पी.एम. पर परिवादी श्री शरीफ खान ने हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् उपअधीक्षक पुलिस के समक्ष इस आशय का पेश किया गया कि मैने दिनांक 02.07.2022 जो प्रार्थना पत्र पेश किया था, उस बात को काफी समय हो चुका है। दिनांक 16.08.2022 के बाद संजय हरसाना कनिष्ठ सहायक ने न तो मुझसे मिलकर और ना ही फोन करके रिश्वत राशि की मांग की है, ऐसा लगता है कि संजय हरसाना कनिष्ठ सहायक को मेरे पर शक हो गया है, अब वह मुझसे रिश्वत की राशि नही लेगा। मेरी रिश्वत राशि मुझे लौटाई जाए। उक्त दोनो गवाहान को परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पढवाया गया। दोनो गवाहान ने परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को पढकर अपने अपने हस्ताक्षर किये। परिवादी से मजीद दरयाफ्त व पेश प्रार्थना पत्र से आरोपी संजय हरसाना कनिष्ठ सहायक द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने की संभावना नही होने पर समय 1.40 पी.एम. पर परिवादी श्री शरीफ खान पुत्र श्री रसीद खान, उम्र 32 साल, निवासी ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन, जिला करौली हाल नेहरु नगर रंगपरु रोड, थाना भीमगंजण्डी, कोटा जं. द्वारा पेशकशी दिनांक 04.07.2022 को मन् उप अधीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो कोटा देहात को सुपुर्द किये गये फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त 1,00000 (एक लाख) रूपये के नोटों को श्री गिर्राज कानि. 387 द्वारा मालखाने से निकलवाकर नियमानुसार परिवादी श्री शरीफ खान को लौटाया गया। जिसकी फर्द सुपुर्दगी रिश्वती राशि नियमानुसार तैयार कर सबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी व गवाहान को रूकसत किया गया।

प्रकरण के समस्त हालात से पाया गया कि परिवादी श्री शरीफ खान तथा उसके भाईयों ने अपने पिता तथा अन्य भाईयों के विरुद्ध पुश्तैनी जमीन में हिस्सेदारी हेतु मुकदमा नं. 27/2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली में कर रखा था, जिसमें दिनांक 21.02.2022 को उक्त न्यायालय द्वारा परिवादी व उसके भाईयों के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिए गए

थे। उक्त प्रकरण में आगामी तारीख 04.07.2022 नियत थी। उपखण्ड कार्यालय हिण्डौन सिटी, जिला करौली में पदस्थापित कनिष्ठ सहायक श्री संजय हरसाना द्वारा फैसले से पूर्व फैसला परिवादी के पक्ष में करवाने तथा स्टे ऑर्डर जारी रखने के नाम पर परिवादी से कुल 1,20,000 रु की रिश्वत् के तौर पर मांग की गई और कहा कि गारंटी के साथ कह रहा हूं काम हो जाएगा इन रुपयों में से उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन को रिश्वत् दूंगा। परिवादी ने रिश्वत राशि कम करने को कहा तो तो कनिष्ठ सहायक ने कहा कि दस–पांच हजार रुपये की तरफ मत देखे कितना परेशान हो गया तू। रिश्वत संबंधित शिकायत परिवादी द्वारा दिनांक 02.07.2022 को मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो कोटा देहात पर उपस्थित होकर पेश की गई, जिसमें श्री संजय हरसाना कनिष्ठ सहायक द्वारा परिवादी से 1,30,000 रू रिश्वत की मांग करना परिवादी द्वारा अंकित किया गया, जिस पर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन दिनांक 03.07.2022 को करवाया गया, जिसमें आरोपी संजय हरसाना द्वारा 1,20,000 रु रिश्वती राशि की मांग करने की पुष्टि हुई।

दिनांक 03.07.2022 को परिवादी श्री शरीफ खान व आरोपी संयज हरसाना कनिष्ठ सहायक के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी श्री संजय हरसाना कहता है कि ऐसा है तेरा हण्डरेट परसेंट तो काम हो जाएगा, जो बात ही यथास्थिति जैसे के तैसे स्टे रह जाएगा तेरा ठीक है और एक लाख बीस हजार रूपये गांरटी के साथ कह रहा हूं काम हो जायेगा, इससे ज्यादा और तो क्या कहूं इत्यादि, जिससे आरोपी संजय हरसाना कनिष्ट सहायक द्वारा रिश्वत् मांग करना स्पष्ट रुप से जाहिर होता है।

दिनांक 04.07.2022 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। आरोपी संजय हरसाना कनिष्ठ सहायक को परिवादी के मोबाईल से कॉल करवाया गया तो आरोपी ने हिण्डौन पहुंचकर परिवादी को कॉल कर तहसील मोड पर बुलाया, बार–बार स्थान बदला, परिवादी से काफी देर बातचीत भी की परंतु आरोपी श्री संजय हरसाना को किसी तरह शक होने से परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त नही की गई। इस कारण ट्रेप कार्यवाही नहीं हो सकी।

दिनांक 15.08.2022 को परिवादी ने उपस्थित कार्यालय होकर बताया श्री संजय हरसाना कनिष्ठ सहायक से वार्ता हुई है, उसने मुझसे कहा है कि आप कल हिण्डौन आ जाओ बैठ कर बात कर लेंगे। इस पर दिनांक 16.08.2022 को पुनः सत्यापन का प्रयास किया गया तो आरोपी श्री संजय हरसाना ने जर्ये मोबाईल बारिश बंद होने पर हिण्डौन आकर बातचीत करने के लिए कहा तथा परिवादी के परिचित श्री अनिरुद्ध के बारे में पूछा। परंतु काफी देर इंतजार करने के बाद भी ना तो वह बातचीत करने परिवादी के पास आया ना ही परिवादी का कॉल अटेण्ड किया। आरोपी श्री संजय कुमार हरसाना का सेवा विवरण उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन सिटी से प्राप्त करने हेतु पत्राचार किया गया तो श्री संजय कुमार हरसाना का लोक सेवक नही होना ज्ञात हुआ। आरोपी के बारे में और अधिक जानकारी की गई तो आरोपी श्री संजय कुमार हरसाना का प्राईवेट व्यक्ति होना जानकारी में आया।

दिनांक 28.10.2022 को परिवादी श्री शरीफ खान ने भी एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मेरे द्वारा जब आपको प्रार्थना–पत्र पेश किया गया था उस समय मुझे किसी ने बताया था कि संजय कुमार हरसाना उपखण्ड कार्यालय, हिण्डौन सिटी में कनिष्ठ सहायक है, अब मेरी जानकारी में आया है कि वह कनिष्ठ सहायक नही है बल्कि प्राईवेट व्यक्ति है तथा सरकारी कामों में दलाली का काम करता है, जिसके पिता का नाम रामेश्वर है, वह हरसाने का पुरा, अटकोली, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली का निवासी है तथा गुर्जर जाति का है।

इस प्रकार आरोपी श्री संजय कुमार हरसाना दलाल द्वारा परिवादी तथा उसके भाईयों द्वारा पेश मुकदमें में फैसला उनके पक्ष में करवाने तथा स्टे आर्डर जारी रखने की एवज में उपखण्ड अधिकारी के नाम पर रिश्वत राशि की मांग की गई। आरोपी श्री संजय कुमार हरसाना को किसी तरह शक हो जाने के कारण आरोपी संजय कुमार हरसाना द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण नहीं की गई। आरोपी श्री संजय कुमार हरसाना पुत्र श्री रामेश्वर, जाति गुर्जर, निवासी हरसाने का पुरा, अटकोली तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली का उक्त कृत्य धारा 7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होना पाया गया है। अतः उपरोक्त धारा में प्रकरण पंजीबद्व किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थोन, जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।

(विजय सिंह)
पुलिस उप अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
कोटा देहात

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विजय सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री संजय कुमार हरसाना (प्राईवेट व्यक्ति) पुत्र श्री रामेश्वर, निवासी हरसाने का पुरा, अटकोली, तहसील हिण्डौन, जिला करौली के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 426/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

1/11/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक:-3700-03 दिनांक 01.11.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात, कोटा।

1/11/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।